96

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 4105–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 26–5–2016 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक, सांची प्रकरण कमांक 26/अ–12/2015–16.

मुकेश साहू आत्मज सूरजमल साहू
निवासी ग्राम दीवानगंज
तहसील व जिला रायसेन .....आवेदक

विरूद्ध

अवतार सिंह ठाकुर आत्मज रामप्रसाद ठाकुर
निवासी पिपलिया चाद खॉ
कृषक ग्राम दीवानगंज
तहसील व जिला रायसेन .....अनावेदक

श्री एच.आर. पटेल, अभिभाषक, आवेदक
श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 13/3/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक, सांची द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–5–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा ग्राम दीवानगंज स्थित उसके स्वत्व की भूमि खसरा नम्बर 87 रकबा 0.032 हेक्टेयर का सीमांकन कराये जाने हेतु राजस्व निरीक्षक तहसील रायसेन के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । राजस्व निरीक्षक सांची द्वारा प्रकरण कमांक 26/अ–12/2015–16 दर्ज कर दिनांक 26–5–2016 को सीमांकन किया किया गया । राजस्व निरीक्षक के इसी सीमांकन आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि सीमांकन कार्यवाही के पूर्व सभी पड़ोसी कृषकों को सूचना देना आवश्यक है, परन्तु राजस्व द्वारा पड़ोसी कृषकों को सूचना पत्र की तामीली कराये बिना सीमांकन किया गया है, जो

कि सीमांकन प्रकिया के विपरीत कार्यवाही होने से निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा केवल एक ही आदेशिका दिनांक 13–5–2016 को लिखी गई है, उसके पश्चात कोई आदेशिका नहीं लिखी गई है और सीमांकन पंचनामा दिनांक 26–5–2016 को तैयार किया गया है तथा सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 27–5–2016 को लिखा गया है । इस आधार पर कहा गया कि सीमांकन के पश्चात अन्तिम आदेश पारित नहीं हुआ है, इसलिए सीमांकन की कार्यवाही विधि अनुसार नहीं है । तर्क में यह भी कहा गया कि सीमांकन पंचनामा में यह त्रुटिपूर्ण उल्लेख किया गया है कि आवेदक द्वारा पंचनामा पर हस्ताक्षर करने से इंकार किया गया, जबकि पंचनामा तैयार करने के बाद पढ़कर सुनाया जाता है, उसके उपरांत पंचगणों के हस्ताक्षर लिये जाते हैं और यदि कोई व्यक्ति हस्ताक्षर करने से इंकार करता है तो हस्ताक्षरकर्तागण के साथ ही यह टीप अंकित की जाती है । अतः स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक ने कोरे कागज पर मौजूद लोगों के हस्ताक्षर कराये हैं और उसके बाद अपनी मर्जी अनुसार पंचनामा लिखा गया है, जिसका वास्तविकता से कोई सम्बन्ध नहीं है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि सीमांकन की समस्त कार्यवाही सीमांकन प्रकिया के विपरीत होने से निरस्त की जाये और विधि विपरीत किये गये सीमांकन के आधार पर की जा रही संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत बेदखली की कार्यवाही भी निरस्त की जाये ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचना पत्र जारी किया जाकर विधिवत सीमांकन किया गया है, जिसमें अनावेदक की भूमि पर आवेदक का अवैध कब्जा पाया गया है । यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा सूचना पत्र पर हस्ताक्षर करने से इंकार किया गया है और आवेदक सीमांकन के समय उपस्थित था, किन्तु उसके द्वारा पंचनामा पर हस्ताक्षर से मना किया गया है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि सीमांकन के आधार पर अनावेदक ने तहसील न्यायालय में संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत आवेदक के विरूद्ध बेदखली का प्रकरण प्रस्तुत किया था, जिसमें तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 16–10–2017 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि के सम्बन्ध में आवेदक को बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया गया है, अतः आवेदक की ओर से प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । राजस्व निरीक्षक के अभिलेख में संलग्न पंचनामा को देखने से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा पंचनामा में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि सीमांकन के सम्बन्ध में विधिवत सूचना पश्चात आवेदक की उपस्थिति में सीमांकन किया गया है, जिसमें अनावेदक की सम्पूर्ण भूमि पर आवेदक का अवैध कब्जा पाया गया है । उक्त पंचनामा पर उपस्थित पंचों के हस्ताक्षर भी हैं । आवेदक द्वारा तर्कों में सीमांकन के गुण–दोष पर कोई आपत्ति नहीं की गई है । अतः राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया सीमांकन विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक मण्डल सांची तहसील व जिला रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–5–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर